



राम चमकते भानु समाना

श्री अरिवल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 क अन्तर्गत पंजीकृत संस्था - क्रमांक : 102/1964-65



क्रमांक : ABSJS/2025-27

दिनांक : 22-01-2026

श्रीमान् अध्यक्ष/मंत्री महोदय,

सादर जय जिनेंद्र!

जिन-जिन क्षेत्रों में आचार्य प्रवर 1008 श्री रामलाल जी म.सा. के आज्ञानुवर्ती साधु या साध्वीवर्याओं का शेषकाल में, चातुर्मास में या सकारण दीर्घकाल तक विराजना है, वे इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, ताकि साधु-मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए धर्म लाभ उठाया जा सके।

बत्तीस सूत्री नियमावली

1. साधुमार्गी संघ के नियमों एवं समाचारी का पालन करने में साधु-साध्वीवर्याओं को सहयोग दिया जाए।
2. साधु-साध्वीवर्याओं के चातुर्मासिक प्रवेश, तपस्या आदि के निमित्त से निमंत्रण पत्रिकाएँ या कार्ड आदि प्रकाशित नहीं किए जाएँ।
3. साधु-साध्वीवर्याओं के चातुर्मास के उपलक्ष्य में पुस्तकादि का प्रकाशन नहीं करवाना।
4. साधु-साध्वीवर्याओं के निमित्त से स्थानक में किसी प्रकार का निर्माण आदि कार्य नहीं होना चाहिए।
5. चातुर्मास आदि की घोषणा के पश्चात् स्थानक में यदि गृहस्थों के लिए भी कोई नया निर्माण आदि कार्य होवे तो वह स्थान उस चातुर्मास आदि पर्यंत चारित्रात्माओं के द्वारा उपयोग लेने के योग्य नहीं होता। पहले से कार्य चालू हो अथवा टूट-फूट की मरम्मत आदि होवे, वह बात अलग है। इसी प्रकार चातुर्मास काल में स्थानक में भेंट आए पाट-पाटलों आदि को भी साधु-साध्वी उस चातुर्मास काल तक उपयोग में नहीं ले सकते।
6. चातुर्मास आदि के निमित्त से स्थानक में रँगार्ई-पुतार्ई का कार्य नहीं किया जाये।
7. साधु-साध्वीवर्याओं के पधारने के निमित्त से धर्मस्थान में सचित्त या अचित्त किसी भी पानी का पौँछा नहीं लगाना, पानी से धोना भी नहीं।
8. स्थानक भवन में कच्चे पानी के घड़े नहीं रखने चाहिए। नल आदि भी खुले नहीं रहें। सूर्यास्त के पश्चात् अचित्त पानी भी स्थानक की सीमा में न रहे।
9. स्थानक में लाइट, पंखा आदि नहीं चलने चाहिए। सेल की घड़ी भी धर्म स्थान में वर्जित है। चालू हालत में सेल की घड़ी, मोबाइल फोन आदि अपने साथ में होने की स्थिति में चरण वंदन न करें।
10. धर्मस्थान में इधर-उधर की व्यर्थ बातें करके साधना के अमूल्य क्षणों का दुरुपयोग नहीं हो, इसका ध्यान रखें।
11. साधु-साध्वीवर्याओं से खुले मुँह बात नहीं की जाए। पाँचों अभिगमों का पालन करना अपेक्षित है।
12. साधुओं के स्थान पर बहनों को, साध्वीवर्याओं के स्थान पर भाइयों को असमय में (दोपहर 11.30 से 1.30 तक व शाम 4.00 बजे के बाद) नहीं बैठना चाहिए। दर्शन कर मंगलपाठ श्रवण करने की बात अलग है। जहाँ तक बन सके, दर्शन व मंगलपाठ भी सामूहिक कार्यक्रम में लेने का लक्ष्य रखें। रात्रि में साधुओं से बहनों का तथा साध्वीवर्याओं से पुरुष वर्ग का वार्तालाप किया जाना निषिद्ध है।



श्री अटिबल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ



राम चमकते भानु समाना

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था - क्रमांक : 102/1964-65

क्रमांक :

दिनांक : 22-01-2026

(2)

13. साधु के स्थान पर मात्र बहनों का व साध्वियों के स्थान पर मात्र पुरुषों का बैठना नहीं कल्पता है, साथ ही समझदार भाई की साक्षी के बिना संतों को बहनों से बात करना तथा समझदार बहन की साक्षी के बिना साध्वीवर्याओं को भाइयों से बात करना नहीं कल्पता है।
14. साधु-साध्वीवर्याओं की जन्म दिवस/दीक्षा दिवस आदि नहीं मनाना।
15. साधु-साध्वीवर्याओं की उपस्थिति में तपस्वी, वैरागी, शीलव्रत धारण करने वालों, संघ लेकर उपस्थित होने वालों आदि गृहस्थों का शॉल ओढ़ाकर, माल्यार्पण आदि से अभिनंदन आदि कार्य नहीं होने चाहिए।
16. साधु-साध्वीवर्याओं की उपस्थिति में पुस्तक, ग्रंथ आदि का लोकार्पण वर्जित है।
17. साधु-साध्वीवर्याओं की धर्मसभा में या उनसे वार्तालाप करने हेतु श्रवण यंत्र का उपयोग भी निषिद्ध है।
18. साधु-साध्वीवर्याओं के प्रवेश आदि प्रसंगों पर अज्ञात अवस्था में भी उनकी फोटो आदि नहीं उतारी जाए।
19. धर्मस्थान के भीतर प्रभावना वितरण का कार्य न हो।
20. साधु-साध्वीवर्याओं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्रभावना (आगुंतकों को किसी वस्तु आदि का वितरण) की प्रेरणा नहीं करते। कोई-कोई गृहस्थ अपनी तपस्या आदि के प्रसंगों पर प्रभावना करते हैं, इसके लिए यह नियम ध्यान में लेना आवश्यक है कि प्रभावना के रूप में ऐसी किसी वस्तु का वितरण उपयुक्त नहीं है, जिस पर किसी साधु-साध्वीवर्याओं का नाम अंकित हो, चाहे वह मुँहपत्ती हो, चादर हो, बैग हो या अन्य कोई भी पदार्थ क्यों न हो। किसी पुस्तक पर पहले से किसी साधु-साध्वी का नाम हो और उस पुस्तक की प्रभावना की जाय वह बात अलग है। इसी प्रकार प्रतीकात्मक रूप से जय महावीर, जय गुरु नाना, हु शि उ चौ श्री ज ग नाना इत्यादि के रूप में तीर्थकरों या आचार्यों का नाम हो, वह बात अलग है।
21. गोचरी के लिए धर्मस्थान में भावना नहीं भानी चाहिए।
22. यदि सेल की घड़ी या अन्य सचित्त पदार्थ का संस्पर्श हो रहा हो तो वैसी स्थिति में भिक्षा देने के लिए आगे नहीं बढ़ें। 'अमुक पदार्थ वहाँ है, उसे बहरा दो' आदि रूप भाव भी व्यक्त नहीं करने चाहिए। ऐसे असूझते सदस्यों का मौन रहना ही उपयुक्त है।
23. साधु-साध्वीवर्याओं के पधारने का समय है इसलिए उनको बहराने की भावना से फ्रिज आदि से पदार्थ बाहर नहीं निकाले जाए। अग्नि युक्त गैस, चूल्हे, सिगड़ी आदि पर से नीचे भी नहीं उतारे जाएँ। भिक्षा देने के निमित्त से सेल की घड़ी, टी.वी. लाइट, पंखे आदि को बंद या चालू करना, सेल की घड़ी, मोबाइल आदि को अलग रखना भी उपयुक्त नहीं है। साधु-साध्वीवर्याओं को मोहल्ले में या निकट पधारे हुए जानकर भी उपर्युक्त कार्य नहीं करें।
24. साधु-साध्वीवर्याओं के निमित्त से ओघा, पातरा, आसन, पूजनी, पुस्तकें, वस्त्र आदि खरीदकर या कहीं से मँगवाकर नहीं रखे जाएँ।



श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ



राम चमकते भानु समाना

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था - क्रमांक : 102/1964-65


क्रमांक :

दिनांक : 22-01-2026

(3)

25. साधु-साध्वीवर्याओं से आरंभ-समारंभ एवं रुपये-पैसे आदि परिग्रह की क्रिया से जुड़ा कोई परामर्श न माँगें।
26. बालक, युवा आदि में धार्मिक संस्कारों हेतु यदि प्रतियोगिता आदि के कार्यक्रम रखे जाएँ तो उनकी योजना व क्रियान्विति संघ के सक्रिय कार्यकर्ताओं को स्व-विवेक से निर्धारित करनी चाहिए। साधु-साध्वीवर्याओं से यह दिशाबोध प्राप्त किया जा सकता है कि अमुक प्रवृत्ति, अमुक प्रश्नोत्तर आदि सिद्धांत से विपरीत तो नहीं है।
27. सामायिक, संवर, दया, पोषध आदि धार्मिक अनुष्ठानों में सेल की घड़ी, मोबाइल आदि विद्युत् के साधनों का उपयोग वर्जित है।
28. धार्मिक अनुष्ठान दोष रहित संपन्न होने चाहिए। दया, पोषध, संवर, सामायिक आदि में मुख वस्त्रिका, पूजनी, आसन आदि धार्मिक उपकरणों का होना अपेक्षित है।
29. बैनर आदि किसी भी स्थल पर साधु-साध्वीवर्याओं के नाम के साथ चातुर्मास सूची में समागत विशेषणों के अतिरिक्त अन्य विशेषणों का लिखित या मुद्रित रूप में प्रयोग नहीं होना चाहिए।
30. 'आचार्य श्री रामलाल जी म.सा. के आज्ञानुवर्ती मुनिराज/महासती जी के सुशिष्य/सुशिष्या आदि ठाणा हमारे यहाँ विराजमान हैं' - ऐसा आलेख नहीं होना चाहिए। आलेख इस प्रकार किया जा सकता है, यथा- 'आचार्य श्री रामलाल जी म.सा. के आज्ञानुवर्ती सुशिष्य/सुशिष्या आदि ठाणा हमारे यहाँ विराजमान हैं'।
31. साधु-साध्वीवर्याओं द्वारा प्रत्यक्ष/परोक्ष संकेत मिलने या न मिलने पर भी उपाश्रय आदि में ऋद्धि संपन्न (आचार्य आदि पदवी प्राप्त) महापुरुषों के अतिरिक्त साधु-साध्वीवर्याओं का नाम, जय आदि प्रिंट नहीं करवाना। चातुर्मास काल आदि पर्यंत अस्थायी बैनर लगाना पड़े तो बात अलग है।
32. साधु-साध्वीवर्याओं की कोई प्रवृत्ति संयम विरुद्ध लगे तो अन्यत्र कहीं चर्चा न करके शासन दीपक/शासन दीपिका को ही निवेदन करें। वहाँ समाधान न होने की स्थिति में आचार्य प्रवर को संबंधित विषय की जानकारी दी जानी उपयुक्त है। किंतु इधर-उधर चर्चा न की जाए।

संघ के प्रत्येक सदस्य को उक्त नियमों की जानकारी रहे, इसलिए ऐसा प्रयत्न हो कि सभी इन नियमों को समय-समय पर पढ़कर ध्यान में ले सकें।


(सुरेश कुमार बच्छावत)

राष्ट्रीय महामंत्री

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ